

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

HRE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

·····		
सं. 42]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10,	2012 / पौष 20, 1933
No 42]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY	7 10, 2012/PAUSA 20, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2012

का.आ. 50(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में की तत्स्थानी प्रविप्टि म यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के, सारणी के स्तभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सेक्शन की सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट खड को भारतीय राष्ट्रीय राजमाग प्राधिकरण को सौंपती है, अथात्

	सारणी	
राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	खंड किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
200	छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर-बिलासपुर सेक्शन	0.000 कि.मी. से 127.650 कि.मी.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································

[फा. सं. एनएच-14013/13/2011-पी एड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2012

S O. 50(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the Section specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

LADLE

National Highway No.	Section	Stretches in Kilometers	
(1)	(2)	(3)	
200	Raipur-Bilaspur Section	From Km. 0.000 to Km. 127,650	
	in the State of Chhattisgarh		

(1)

[F. No. NH-14013/13/2011-P & M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

76 GI/2012

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2012

का.आ. 51(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय सजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 को 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं का.आ. 1096(अ). तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करनी हे, अर्थातू :—

उक्त अधियूचना की, सारणी में, क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टिया के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :---

"5	राष्ट्रीय राजमार्ग स. 6 [307 कि.मी. से 405 कि.मी. (रायपुर-नागपुर सेक्शन), और 88.000	छत्तीसगढ़ राज्य सरकार"।
	कि.मी. से 281.000 कि.मी. (रायपुर-औरंग) को छोड़कर], सं. 12ए, सं. 16, सं. 43,	
	सं. 78, सं. 111, सं. 200 [0 000 कि मी. से 127.650 रायपुर-बिलासपुर सेक्शन को छोड़कर]	•
	सं 202 म 216, मं 217, आगम 221 जो छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित हैं।	

[फा. सं. एनएच-14013/13-2011-पी एंड एम]

भाया प्रकाश, उप-सचित्र

पाद टिप्पण :----मूल अधिमूचनः स. का.आ. 1096(अ), तागेख 4 अगस्त, 2005 ताग पकाशित की गई थी और अंत में सं. का.आ. 2571(अ), तारीख 14 नवम्बर 2011 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2012

S.O. 51(E).—In exercise of the powers conterred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following turther amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August 2005, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :----

"5	So much of National Highways No. 6 [excluding from km. 307.600 to km. 405.000 (Raipur-Nagpur Section) and from Km. 88.000 to Km.	State Government of Chhattisgarh".
	281.000 (Raipur-Aurang)] No 12A, No. 16, No. 43 No 78, No. 111, No. 200	
•	[excluding from Km. 0.000 to Km. 127.650 (Raipur-Bilaspur section)] No. 202,	<u>.</u>
	No. 216, No. 217 and No. 221 as are situated within the State of Chhattisgarh.	· · · · ·

[F.No. NH-14013/13/2011-P& M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note :— The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 2571(E), dated the 14th November, 2011.